न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 96 / 2020

1– श्री श्योदान पुत्र श्री श्रवण
2– श्री लादू पुत्र श्री मूला
समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पालडी भोपतान, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट्स*

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ

.....**रेस्पोन्डेन्ट**

2– श्री काना पुत्र श्री श्रवण, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पालडी भोपतान, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर

.....**तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट**

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

———

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश कुमार साहू, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक–13.07.2023

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2076 में श्री श्योदान व श्री काना पुत्रगण श्री श्रवण एवं श्री लादू पुत्र श्री मूला समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पालडी भोपतान, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ने ग्राम पालडी भोपतान के आराजी खसरा नम्बर 180 रकबा 5–19–0 बीघा किस्म बा0 1 में से रकबा 3–0–0 बीघा व खसरा नम्बर 470 / 180 रकबा 0–08–0 बीघा किस्म बा0 1 रास्ता सम्पूर्ण भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाड़ लगाकर व पड़त कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार रूपनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 01 / 2020 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 20.01.2020 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार विवादित भूमि से अतिक्रमियों की बेदखली व शास्ति कायम की गई। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 20.01.2020 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पो0 संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिंदु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के पश्चात हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को बिना विधिवत नोटिस दिये व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना सरसरी तौर पर एकतरफा आदेश पारित किया गया है जो न्याय के सहज व प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत है। अपीलान्ट्स विवादित आराजी पर गत कई वर्षो से काबिज चले आ रहे हैं एवं पुराने कब्जे के आधार पर तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के आधार पर अपीलान्ट्स आराजी को अपने हक में नियमन कराने के अधिकारी हैं। उन्होने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना खानापूर्ति कर साईक्लोस्टाईल निर्णय पारित किया गया है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलान्ट्स विवादित आराजी पर काबिज चले आ रहे हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व कानूनी प्रावधानों का विवेचन किये बिना उनके विपरीत जाकर सरसरी तौर पर आक्षेपीय आदेश पारित किया है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर वादग्रस्त आराजी को अपीलान्ट्स के पक्ष में नियमन कराने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जबाव में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक बारानी 1 व रास्ता दर्ज है, रास्ते की भूमि का नियमानुसार आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट्स निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से बाड़ लगाकर व पड़त कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने के साथ ही रास्ते की भूमि है जो नियमन योग्य भी नहीं है। अपीलान्ट्स का यह कथन भी गलत है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है, उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। हम उक्त आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट्स सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 13.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
अपर कलक्टर
अजमेर

(राजेन्द्र सिंह)
अपर कलक्टर अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते